जोननि

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जोधपुर उत्तर

क्रमाक :– अनि/नननि उत्तर/99 दिनांक :– 17.11.2022

प्रिंसिपल
ड्युन्स एकेडमी
ग्राम आउ, तहसील आउ
जोधपुर।

विषय :– अग्निशमन अभिशंषा पत्र हेतू अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर मे स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण बावत।
संदर्भ :– आपका प्रार्थना पत्र के क्रम में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत आपके विद्यालय भवन व परिसर का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन/परिसर मे स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था यंत्र/उपकरणो, फायर एक्सटिंग्युशर, होजरील, पीएसिस्टम फायर बकेटस आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाई गई। भविष्य हेतू भी इन्हे निर्देशित की गई अन्य व्यवस्था आदि को सदैव सही व कार्यशील अवस्था मे रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित प्रिंसिपल को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तो की पालना करने की स्थिति मे अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशंषा–पत्र जारी किया जाता है जो कि जारी होने की तिथि से दिनांक 17/06/2023 तक मान्य रहेगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था सदैव रखी जावे।
2. भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था सदैव रखी जावे।
3. विद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूसर, होजरील, व पानी का सुविधा पाई गई। भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
4. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों का परिक्षण किया जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर, होजरील का समय पर रख–रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जाना होगा।
5. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
6. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
7. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।
8. विद्यालय परिसर में की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग के अधिकारीयों द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं यदि कोई कमी अथवा यंत्र/उपकरण अकार्यशील पाए जाते है तो यह अभिशंषा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
9. उक्त विद्यालय भवन व परिसर में आगामी तीन माह के भीतर हायड्रन्ट लाईन मय फायर पम्प कार्यशील अवस्था में स्थापित कर इसका प्रमाण इस विभाग को प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा यह अभिशंषा पत्र स्वत निरस्त माना जावेगा।
10. उक्त अग्निशमन अभिशंषा प्रमाण पत्र भूमि संबंधित वाद–विवाद अथवा स्वामित्व संबंधित प्रकरण हेतू मान्य न होकर केवल अग्निशमन की दृष्टि कोण से ही मान्य होगा।
11. उपरोक्त शर्तो की पालना सुनिश्चित नही किए जाने पर यह अभिषेषा पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर उत्तर
जय सिंह चौहान
अग्निशमन अधिकारी
नगम निगम जोधपुर